कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

क्रमांक :– पी0ए0 / जांच / 2020 / 6192   दिनांक :– 12.10.2020

प्रेषिति :–

श्रीमान जिला कलक्टर,
नागौर।

विषय :– दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार "चुनाव क्षेत्र में रातभर घूमी डीडवाना एसडीएम की गाडी ग्रामीण बौले–शराब पैसे बांटे, अब कमेटी करेगी जांच" के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणी।

प्रसंग :– श्रीमान संयुक्त सचिव (एलटी), मुख्यमंत्री, मुख्य मंत्री कार्यालय, जयपुर का पत्रांक मु.म. / सं.स.(एल.टी) / 2020 / दिनांक 10.10.2020 व श्रीमान जिला कलक्टर नागौर का पत्रांक मु.मं. प्रकरण / 133 / 2020 / 464–66 दिनांक 12.10.2020

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है, कि जिला पूल नागौर से कार्यालय हाजा को आवंटित वाहन संख्या RJ21UA7187 पर जिला पूल नागौर से वाहन पर नियुक्त वाहन चालक श्री आजम अली के द्वारा दिनांक 02.10.2020 को रात्रि में निम्नहस्ताक्षरकर्ता की बिना अनुमति व जानकारी में लाये राजकीय वाहन का उपयोग करने के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणी निम्नानुसार है :–

1. दिनांक 03.10.2020 को पंचायत समिति डीडवाना में सरपंच पद व वार्ड पंच चुनाव होने नियत थे। उक्त चुनाव हेतु निर्वाचक दलों में नियुक्त कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण दिनांक 02.10.2020 को उपखण्ड मुख्यालय डीडवाना पर प्रातः 7.00 ए0एम0 से 11.00 ए0एम0 तक दिया गया व तत्पश्चात निर्वाचक दलों को ग्राम पंचायतों में बनाये गये मतदान केन्द्रों हेतु रवाना किया गया। निम्नहस्ताक्षरकर्ता उक्त दिवस प्रातः 06.00 ए0एम0 से लगभग रात्रि 10.00 पी0एम0 बजे चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों का समयबद्ध संचालन व पर्यवेक्षण पश्चात अपने आवास पर रात्रि विश्राम हेतु चले गये थे। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के विश्राम में जाने से पूर्व राजकीय वाहन कार्यालय परिसर की पार्किंग में ही खड़ा था जहां रोज वाहन चालक द्वारा वाहन को पार्क किया जाता है।
2. दिनांक 03.10.2020 को प्रातः 06.00 ए0एम0 बजे से लेकर मतदान पूर्ण होने व सरपंच व पंच पदो के परिणाम आने तक निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा क्षेत्र में शांती पूर्वक मतदान हेतु क्षेत्र में मुस्तेद रहे व निर्वाचन कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक महोदय व श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर के साथ कई मतदान केन्द्रों का जायजा भी निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिया गया।
3. दिनांक 04.10.2020 को सभी ग्राम पंचायतों में उप सरपंच पद का निर्वाचन शांति पूर्वक करवाने व मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात मतदान दलों से सामग्री संग्रहण में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो इस बाबत निम्नहस्ताक्षरकर्ता उक्त दिवस भी प्रातः से रात्रि विश्राम तक अपने कार्यालय व क्षेत्र में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया।
4. पंचायत चुनाव वाले दिवस दिनांक 03.10.2020 से दिनांक 04.10.2020 तक निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रातः 06 बजे से लेकर देर रात्रि तक अपने कार्यालय व फिल्ड में उपलब्ध रहे, परन्तु न तो निम्नहस्ताक्षरकर्ता को व न ही चुनाव में नियुक्त अन्य उच्चाधिकारियों(श्रीमान पर्यवेक्षक महोदय, श्रीमान जिला कलक्टर नागौर, श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर) को

आ...

Scanned with CamScanner

दिनांक 02.10.2020 को रात्रि में घटित घटना के संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा प्रत्याशी द्वारा अवगत नहीं करवाया गया था।

5. दिनांक 05.10.2020 को (दिनांक 02.10.2020 की रात्रि में) घटित उक्त घटना की जानकारी निम्नहस्ताक्षरकर्ता को अलिखित/मौखिक रूप से प्राप्त होने पर प्रकरण में निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुये अविलम्ब वाहन चालक श्री आलम अली को पत्रांक पीए/2020/6154 दिनांक 05.10.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया व घटना की गंभीरता को देखते हुये पत्रांक जांच/2020/5155-57 दिनांक 05.10.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा 03 सदस्यों के जांच कमेटी का गठन कर प्रकरण में प्रारंभिक जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
6. प्रकरण में जांच प्रभावित न हो इस बाबत आरोपित वाहन चालक को कार्यालय हाजा से जिला मुख्यालय नागौर हेतु दिनांक 07.10.2020 को कार्यमुक्त कर दिया गया व उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गई है।
7. दिनांक 06.10.2020 को शिकायतकर्ता श्री हेमाराम निवासी कलवाणी द्वारा प्रकरण में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई जिसे जांच हेतु प्रकरण में गठित कमेटी को प्रेषित कर शिकायतकर्ता द्वारा किये गये कथन व प्रस्तुत साक्ष्यों को जांच में शामिल करने बाबत निर्देशित किया गया।
8. प्रकरण में विस्तृत जांच हेतु निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा गठित जांच कमेटी के पास वर्तमान में जांच विचाराधीन है तथा साथ ही इस प्रकरण में वाहन चालक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1958 के नियम 17 के तहत विभागीय जांच भी कार्यालय हाजा में विचाराधीन है।
9. जांच कमेटी द्वारा की जा रही जांच में यदि आरोपित वाहन चालक श्री आलम अली के द्वारा दिनांक 02.10.2020 को रात्री में बिना निम्नहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति व जानकारी में लाये राजकीय वाहन का उपयोग करने संबंधी आरोपों की पुष्टि होती है तो दोषी कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उपर्युक्तानुसार प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी श्रीमान को सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार (पृष्ठ 01 से)

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

क्रमांक :- पी0ए0/जांच/2020/ ~~6192~~ -6193

दिनांक :- 12.10.2020

प्रतिलिपि :- श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with CamScanner